कार्यालय,मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें,उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक सी-155 /ले0प0दो-60(मापदण्ड)/ दिनांक 11-9-98

समस्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें
उत्तर प्रदेश।

विषय: सहकारी समितियों एवं पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा हेतु दिवसीय मापदण्ड एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों हेतु फारमेट का निर्धारण।

शासन स्तर से उक्त विषय पर निर्णय लेते हुये शासनादेश सं0 2085/दस-98-101(33)/98 दिनांक 6-8-98 निर्गत किया गया है। जिसकी प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसे समस्त लेखा परीक्षा कार्मिकों को नोट करा दें तथा शासनादेशानुसार निम्न कार्यवाही सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें :-

(I) शासनादेश में उल्लिखित दिवसीय मापदण्ड के अनुसार लेखा परीक्षा प्रारम्भ करायी जाय।

(II) शासनादेश में निर्धारित फारमेटों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराये जाये एवं निर्गत करायें जायें।

(III) शासनादेश में उल्लिखित अनुदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप समितियों एवं संस्थाओं की लेखा परीक्षा करायी जाय यदि किसी समिति/संस्था विशेष में किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अधिक दिवस लगने की सम्भावना है तो शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

(I) उक्त शासनादेश के निर्देशों एवं आदेशों से जिस मासिक गोष्ठी में लेखा परीक्षा कार्मिकों को नोट कराया जायेगा उसी के बाद से लेखा परीक्षा प्रारम्भ की जाने वाली संस्थाओं/समितियों पर शासनादेश द्वारा निर्धारित दिवस प्रदान किये जायेंगे तथा उस तिथि के बाद निर्गत होने वाले लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्धारित फारमेटो पर तैयार कराकर निर्गत कराये जाय।

कृपया परिपत्र एवं संलग्न प्रेषित शासनादेश के निर्देशों एवं अनुदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाय साथ ही पत्र की प्राप्ति भी स्वीकार की जाय।

संलग्नक: "यथोपरि"

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी

कार्यालय,मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें,उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक सी-155 /ले0प0दो-60(मापदण्ड)/ दिनांक: 11-9-98

प्रतिलिपि,उक्त संदर्भित शासनादेश की एक-एक प्रति संलग्न कर निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त लेखा परीक्षा अधिकारी,ग्रेड-II,बैंक एवं दुग्ध,सहकारी समितियाँ पंचायतें,उत्तर प्रदेश।

2- समस्त सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ0प्र0।

3- समस्त लेखा परीक्षा अधिकारी,ग्रेड-I,सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, जोनी एवं जोनी स्थिति

3- उपर्युक्त के आधार पर सम्परीक्षाधीन संस्थाओं से सम्बन्धित मानक सम्परीक्षा आख्या का प्रारूप/स्वरूप एवं सम्परीक्षा कार्य हेतु कार्यदिवसों के आवंटन से सम्बन्धित पूर्व में जारी किए गए आदेशों का अतिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा संशोधित/निर्धारित किया जाता है।

4- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से सम्बन्धित सम्परीक्षा आख्या के प्रस्तुतीकरण का प्रारूप अनुलग्नक-1 में तथा कार्य दिवसों का निर्धारण अनुलग्नक-2 में उल्लिखित है। इसी प्रकार से सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन से सम्बन्धित सम्परीक्षा आख्या के प्रस्तुतीकरण का प्रारूप अनुलग्नक-3 में तथा कार्य दिवसों का निर्धारित अनुलग्नक-4 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के सम्परीक्षाधीन "ॠण व्यवसाय वाली समितियों" "उत्पादन संग्रह एवं क्रय-विक्रय करने वाली समितियों" तथा "पंचायत संस्थाओं" के लिए क्रमश: परिशिष्ट-1,2 तथा 3 पर सम्परीक्षा आख्या प्रस्तुतिकरण के प्रारूप के प्रपत्रों का नमूना भी संलग्न कर दिया गया है।

5- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में मानक कार्य दिवसों का निर्धारण (अनुलग्नक-2) सामान्य स्थितियों के लिए हैं। विशेष परिस्थितियों में यथा-बड़ी आर्थिक क्षतियों, व्यपहरण अथवा लेखों में हेर फेर की सम्भावना आदि की स्थितियों में, सम्बन्धित जिला सम्परीक्षा अधिकारी की संस्तुति पर संस्था की सम्परीक्षा आख्या पारित करने वाले अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी के अनुमोदन से अनुलग्नक-2 में निर्धारित मानक अवधि से 10 प्रतिशत अधिक मानक दिवस अनुमन्य कराया जाय यदि किन्हीं विशेष कारण से संस्था की लेखा परीक्षा उपर्युक्त रूप से बढ़ाये गये 10 प्रतिशत अतिरिक्त दिवसों के उपरान्त भी समाप्त कराया जाना सम्भव न हो पा रहा हो तो मण्डलीय अधिकारी/सम्वर्ती सम्परीक्षा के अधिकारी (जो सहायक निदेशक से कम स्तर का न हो) द्वारा अतिरिक्त अवधि की स्वीकृति हेतु विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरणों सहित निदेशक को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इस पर विचारोपरान्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उनके विवेकानुसार उक्त

---3

लेखे की लेखा परीक्षा हेतु मानक कार्य दिवसों की वृद्धि स्वीकृत करेगा ।

6- "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी नियमावली 1968" में दिए गए प्राविधानों के निम्नलिखित अंश को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बड़ी-बड़ी संस्थाओं के कतिपय अभिलेखों/लेखों की लेखा परीक्षा (प्रमाणन कार्य में) प्रतिशत आडिट (परसेन्टेज आडिट) की व्यवस्था लागू की जाय:-

"लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में संस्था के प्रत्येक व्यवहार जो लेखा परीक्षा की राय में, अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के प्रतिकूल हो तथा प्रत्येक धनराशि जिसे समिति के लेखे में दर्ज किया जाना चाहिए किन्तु उसे दर्ज नहीं किया गया हो, का उल्लेख होगा।"

अतः सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के कार्य दिवसों के निर्धारण से सम्बन्धित अनुलग्नक-4 में बड़ी-बड़ी सहकारी संस्थाओं में किए जाने वाले प्रतिशत आडिट के सम्बन्ध में विवरण अंकित करते हुए उन संस्थाओं के कार्य-दिवसों का निर्धारण भी कर दिया गया है।

शेष सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं हेतु कुल (शत प्रतिशत) लेखा परीक्षा कार्य परिमाप के आधार पर कार्यदिवसों का निर्धारण किया गया है, परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में युक्ति संगत एवं औचित्यपूर्ण कारणों से, यदि सम्बन्धित संस्था की लेखा परीक्षा, अनुमन्य किए गए कार्यदिवसों में, पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो तो सम्बन्धित संस्था के लेखा परीक्षा नियंत्रक अधिकारी (दल प्रभारी) से एक स्तर उच्च अधिकारी के अनुमोदन से दस (10) प्रतिशत अधिक दिवस अनुमन्य कराया जाय। उसके उपरान्त भी यदि किन्हीं अतिविशिष्ट/विषम परिस्थितियों में यथा-लेखा परीक्षा में इस प्रकार की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं/गबन आदि के प्रकरण प्रकाश में आ रहे हों, जिससे कतिपय अभिलेखों/लेखों की गहन एवं विस्तृत जाँच किये जाने की आवश्यकता परिलक्षित हो- प्रश्नगत संस्था की लेखा परीक्षा बढ़ाये गये दस (10) प्रतिशत अतिरिक्त दिवसों के उपरा

भी समाप्त कराया जाना सम्भव न हो पा रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव जिला लेखा - परीक्षा अधिकारी एवं सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी को कार्यदिवसों में औचित्यपूर्ण वृद्धि स्वीकृत करने हेतु भेजी जाय। इस पर विचारोपरान्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा ही कार्य-दिवसों में वृद्धि स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाय।

7- उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखों के रख-रखाव एवं लेखा परीक्षा में होने वाली विधाओं में भविष्य में होने वाले सुधार परिवर्तनों के अनुरूप ही लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में समकालीन सुधार किये जाने हेतु प्रत्येक पाँच वर्ष बाद लेखा परीक्षा हेतु आवंटित किये जाने वाले कार्यदिवसों की समीक्षा आप स्वयं अपने स्तर पर करें और तदनुसार शासन को अवगत करायें।

8- शासन द्वारा उपरोक्त प्रस्तरों में लिए गए निर्णयों के अनुसार प्रदेश के सम्परीक्षा कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिए इनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

ह० ——

(आलोक रंजन)
सचिव, वित्त
(बजट संशाधन एवं वेतन आयोग)

शासनादेश संख्या-ऑडिट-2065/दस-98-10(33)/95, दिनांक 6-8-1998

का अनुलग्नक-3

सम्परीक्षा आख्या के प्रस्तुतीकरण का प्रारूप

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भाग-एक

1. संस्था/समिति का नाम जिसकी लेखा परीक्षा की गई:- --------

2. वर्ष लेखा परीक्षा:- ----------------------------------

3. प्रशासन:-

इस प्रस्तर के अन्तर्गत संस्था के प्रधान अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक/सचिव के नाम, पदनाम एवं कार्यरत रहने की अवधियों का उल्लेख किया जायेगा।

4- अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण:-

(क) विगत वर्षों की लेखा परीक्षा में निर्गत विशिष्ट प्रतिवेदनों के अनुपालनों के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

----

परिपालन न किये जाने की स्थिति में वर्ष, सन्निहित धनराशि व उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी का स्पष्ट किया जायेगा।

(ख) सामान्य आपत्तियों जो गत वर्षों के लेखा परीक्षा के दौरान निर्गत की जा चुकी है, के परिपालन के सम्बन्ध में वर्षवार टिप्पणी व आपत्ति करना:-

----

इसके अन्तर्गत विगत अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों का क्रमांक व कुल संख्या जिनका परिपालन सन्तोषजनक रूप से नहीं हुआ है, दी जायेगी

हस्ताक्षर:-

दिनांक

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भाग द्वितीय(अ)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग में उन सभी गम्भीर एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत सूक्ष्म रूप से किया जायेगा जिनमें उल्लेखनीय धनराशि अथवा सैद्धान्तिक रूप से गम्भीर आपत्तियाँ निहित हों तथा जिन्हें तुरन्त प्रशासनिक विभाग के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक हो। आपत्ति के अन्त में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के भाग तृतीय की उस आपत्ति का सन्दर्भ दिया जायेगा जिसमें इस आपत्ति से संबंधित विस्तृत विवरण का उल्लेख किया गया हो। साथ ही इन अनियमितताओं से संबंधित विभाग/अनुभाग के अधिकारियों का नाम भी जो इस अवधि में संस्था में तैनात रहे हों, दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में नियम संख्या - 21[illegible] के अन्तर्गत पूर्व की भाँति ही विशेष प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार पृथक से निर्गत किया जायेगा।

1. समिति/संस्था का नाम:-----------------------
2. लेखा परीक्षा वर्ष:---------------------------
3. लेखा परीक्षा वर्ष में पाई गई गम्भीर आपत्तियों का विवरण:

क्रमांक	आपत्ति का स्वरूप व शीर्षक

1\. कैश एवं स्टाक संबंधी अपहरण के प्रकरण:-

इसके अन्तर्गत स्पष्ट रूप से सिद्ध एवं [illegible] धन व स्टाक संबंधी प्रकरणों से संबंधित आपत्तियों को लिया जायेगा।

2\. दुर्विनियोग के प्रकरण:-

इसके अन्तर्गत सरकारी कोष का अनुचित प्रयोग करना, प्राप्त ऋण व अनुदान का निर्धारित उद्देश्य से भिन्न कार्यों में प्रयोग करना संबंधी प्रकरण [illegible] लिये जायेंगे।

3\. [illegible]

4. बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाते संबंधी गम्भीर त्रुटि की अनियमितताएँ

इसके अंतर्गत लाभ-हानि को प्रभावित करने वाले प्रकरणों का भी उल्लेख किया जायेगा।

5. नियमों/अधिनियमों/उपनियमों के विरुद्ध की गई गम्भीर अनियमितताएँ।

6. अधिष्ठान एवं वेतन निर्धारण संबंधी अनियमितताएँ।

7. राजकीय अनुदान ऋण, अंशराशियों के विनियोजन संबंधी गम्भीर अनियमितताएं।

8. पूर्वनिश्चित नार्म्स के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधान का अनुपालन न करने संबंधी प्रकरण।

9. अन्य विविध प्रकार की गम्भीर अनियमितताएँ।

हस्ताक्षर:

दिनांक:

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन-भाग द्वितीय (ब)

इसके अंतर्गत परम्परागत रूप से लिखे जाने वाले प्रस्तावना, आर्थिक समीक्षा का उल्लेख निम्नांकित क्रम में किया जाना चाहिए।-

---

(क) सामान्य विवेचना:-

(1) इसके अन्तर्गत संबंधित संस्था हेतु निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय आंकड़ों सहित समीक्षा अंकित की जायेगी। समीक्षात्मक विवेचना विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर की जायेगी।

(2) इसके अन्तर्गत संस्था के कार्य, व्यवसाय के आधार पर निर्धारित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में परफार्मेंस/उपलब्धियों आदि पर भी विवेचना की जायेगी।

(ख) वर्गीकरण:-

इस प्रस्तर में समिति/संस्था का वर्गीकरण किया जायेगा। वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न संस्थाओं हेतु पूर्व से ही मानक निर्धारित है।

(ग) यह प्रस्तर संलग्नकों का है जो सामान्य विवेचना के साथ आवश्यक रूप से लगाये जायेंगे। इन संलग्नकों में आवश्यकतानुरूप समय-समय पर परिवर्तन भी किये जा सकते है।

1. वर्ष का संतुलन पत्र एवं लाभहानि खाता (लेखा परीक्षा में निर्धारित प्रमाणपत्र एवं आवश्यक होने पर आपत्तियों सहित)
2. अनुमानित अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण/परिसम्पत्तियों का विवरणपत्र।
3. विविध देनदारों एवं लेनदारों की सूची।
4. अन्य संलग्नक जो समय-समय पर निर्दिष्ट किये जायें।

[illegible]

[illegible]

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन - भाग-(तृतीय)

इसके अंतर्गत वे सभी आपत्तियाँ सम्मिलित की जायेंगी जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण अथवा नैत्यिक प्रकृति की है, जिन्हें प्रतिवेदन के भाग प्रथम (अ) अथवा द्वितीय (ब) में सम्मिलित नहीं किया गया है।

इसको निम्न दो प्रस्तरों में रखा जायेगा:-

(क) गतवर्षों की आपत्तियों के परिपालन की स्थिति:- इसमें निम्न विवरण वर्षवार दर्शाये जायेंगे-

1. लेखा परीक्षा वर्ष ------------------------------------
2. कुल निर्गत आपत्तियाँ-----------------
3. कुल परिपालित आपत्तियों की संख्या-----------------
4. सन्तोषजनक रूप से परिपालित आपत्तियों का क्रमांक
5. संतोषजनक रूप से परिपालित न किये जाने वाली आपत्तियों का क्रमांक। इसके साथ ही वर्ष लेखा परीक्षा में विगत वर्षों से संबंधित परिपालित आपत्तियों की समीक्षा में संतोषजनक न होने का कारणों सहित उल्लेख किया जायेगा।

(ख) लेखा परीक्षा वर्ष में पाई गई आपत्तियाँ।

हस्ताक्षर: ----------

दिनांक: ----------

शासनादेश संख्या: आडिट-2085/दस-98-10(33)/98, दिनांक [illegible].8.91

का अनुलग्नक-4

सम्परीक्षा हेतु मानक कार्य-दिवसों का निर्धारण

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश लखनऊ

क्र0सं0	संस्था का नाम	प्रतिशत आडिट संबंधी प्रस्ताव का विवरण
1.	उ0प्र0 सहकारी बैंक एवं शाखायें	1. विभिन्न प्रकार की प्राप्ति भुगतानों एवं भुगतान संबंधी प्रमाणकों का 40 प्रतिशत आडिट किया जाय। 2. हस्तान्तरण, जमा-बाकी तथा ऋण के लेन-देन संबंधी प्रमाणकों की शत-प्रतिशत जाँच की जाय।
2.	उ0प्र0 सहकारी ग्राम्य विकास बैंक एवं शाखायें-	1. ऋण वितरण संबंधी प्रमाणकों की 50 प्रतिशत आडिट किया जाय। 2. शेष कार्यों की शत प्रतिशत आडिट की जाय।
3.	जिला सहकारी बैंक एवं शाखायें	1. विभिन्न प्रकार के प्राप्ति भुगतानों एवं भुगतान संबंधी प्रमाणकों का 25 प्रतिशत आडिट किया जाय। 2. हस्तान्तरण, जमा-बाकी तथा ऋण के लेन-देन संबंधी प्रमाणकों की शत-प्रतिशत जाँच की जाय।
4.	अर्बन कोआपरेटिव बैंक-	1. विभिन्न प्रकार के प्राप्ति भुगतानों एवं भुगतान संबंधी प्रमाणकों का [illegible]

2. ऋण के लेन-देन संबंधी प्रमा
50 प्रतिशत अभिलिखित किया
3. हस्तान्तरण तथा काल-हानि
प्रमाणकों की शत-प्रतिशत
जाय।

5. नार्दर्न रेलवे प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लखनऊ एवं उसकी शाखायें-

1. विभिन्न प्रकार के प्राप्त अ
एवं भुगतान संबंधी प्रमाणकों
25 प्रतिशत अभिलिखित किया जा
2. ऋण के लेन-देन संबंधी प्रमाणक
50 प्रतिशत अभिलिखित किया जा
3. हस्तान्तरण तथा काल-हानि
संबंधी प्रमाणकों की शत प्रति
जाँच की जाय।

6. अन्य प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक

1. विभिन्न प्रकार के प्राप्त अ
एवं भुगतान संबंधी प्रमाणकों
25 प्रतिशत अभिलिखित किया जा
2. ऋण के लेन-देन संबंधी प्रमाणकों
50 प्रतिशत अभिलिखित किया जा
3. हस्तान्तरण तथा काल-हानि
संबंधी प्रमाणकों का शत प्रतिश
जाँच की जाय।

7. उ0प्र0, उपभोक्ता सहकारी संघ एवं शाखायें एवं डिपो-

1. बिक्री संबंधी कैश मेमो का 25
प्रतिशत अभिलिखित किया जाय।
2. शेष सभी बीजकों/प्रमाणकों की श
प्रतिशत अभिलिखित की जाय।

8. केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति-

1. विभिन्न प्रकार के प्राप्त अ
एवं भुगतान संबंधी प्रमाणकों का
25 प्रतिशत अभिलिखित किया जाय
2. [illegible]
[illegible]
3. [illegible]

९. यूपिका एवं उसकी शाखायें-	1. बिक्री संबंधी कैश मेमोज का 25 प्रतिशत आडिट किया जाय। 2. शेष सभी लेखों/प्रमाणकों की शत-प्रतिशत जाँच की जाय।

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं/लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तावित कार्यदिवस

क्रमांक	संस्था का प्रकार	लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तावित कार्यदिवस
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक:	
	(क) मुख्यालय	1080 दिन
	(ख) शाखायें:- 1. प्रधान शाखा लखनऊ	200 दिन
	2. छोटी शाखा	50 दिन
	3. बड़ी शाखा	80 दिन
	(ग) पे आफिसेज	10 दिन प्रति पे आफिस
2.	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक:	
	(क) मुख्यालय	1080 दिन
	(ख) क्षेत्रीय कार्यालय	10 दिन
	(ग) शाखायें- 1. छोटी शाखा	30 दिन
	2. बड़ी शाखा	40 दिन
3.	जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक:	
	(क) मुख्यालय	[illegible]00 दिन
	(ख) प्रधान शाखा	80 दिन
	(ग) शाखायें- 1. छोटी शाखा	20 दिन
	2. बड़ी शाखा	40 दिन
4.	प्रादेशिक सहकारी संघ	
	(क) मुख्यालय	1440 दिन
	(ख) क्षेत्रीय कार्यालय	20 दिन प्रति क्षेत्रीय कार्यालय
	(ग) प्रेस (उ0 में स्थित)	200 दिन
	(घ) दुग्ध विक्रय केन्द्र	20 दिन प्रति केन्द्र
	(ङ) शीत गृह	30 दिन प्रति शीत गृह
	(च) [illegible]	15 दिन प्रति [illegible]

1	2	3
	(छ) ड्रग फैक्ट्री रानीखेत	240 दिन
	(ज) हल्द्वानी माल्टा फैक्ट्री	240 दिन
	(झ) फर्टिलाइजर फैक्ट्री बाराबंकी	240 दिन
	(ञ) कृषक सेवा केन्द्र	5 दिन प्रति केन्द्र
	(ट) जिला कार्यालय	200 दिन प्रति जिला कार्यालय
5.	जिला सहकारी संघ	40 दिन प्रति संघ
6.	प्रान्तीय सहकारी यूनियन	
	(क) मुख्यालय	480 दिन
	(ख) शाखायें-	5 दिन प्रति शाखा
	(ग) प्र0 केन्द्र	10 दिन प्रति प्र0 केन्द्र
7.	उ0प्र0 सहकारी शीतायन एवं शीत गृह संघ:	
	(क) मुख्यालय	360 दिन
	(ख) शीत गृह	30 दिन प्रति शीत गृह
8.	उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ:	
	(क) मुख्यालय	1060 दिन
	(ख) शाखायें- 1. छोटी शाखायें	50 दिन
	2. बड़ी शाखायें	60 दिन
	(ग) [illegible]	30 दिन प्रति [illegible]
9.	उत्तर प्रदेश जूट मिल एवं सन संघ	30 दिन
10.	आलू विपणन संघ	30 दिन
11.	फल एवं भेषज संघ	30 दिन
12.	औद्योगिक विपणन संघ	30 दिन
13.	तिलहन संघ	30 दिन
14.	अन्य संघ	30 दिन
15.	नार्दन रेलवे प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लखनऊ:	
	(क) लखनऊ शाखा (मुख्यालय)	[illegible]00 दिन
	(ख) शाखायें [illegible], [illegible], मुरादाबाद	[illegible] दिन

क्रमशः

1	2	3
16.	अन्य सहकारी बैंक:	
	(अ) (क) प्रधान/मुख्यालय/शाखा	480 दिन
	(ख) अन्य शाखायें	240 दिन
	(ब) भर्वन बैंक (क) मुख्यालय	240 दिन
	(ख) शाखायें	20 दिन प्रति शाखा
17.	ब्लाक संघ	2 दिन प्रति संघ
18.	बीज भंडार	3 दिन प्रति भण्डार
19.	क्रय-विक्रय समितियाँ	40 दिन प्रति समिति
20.	सूती मिल	480 दिन प्रति इकाई
21.	कताई मिल	480 दिन प्रति इकाई
22.	चीनी मिल	720 दिन प्रति इकाई
23.	वनस्पति मिल	240 दिन प्रति इकाई
24.	गन्ना समितियाँ	240 दिन प्रति इकाई
25.	श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लखनऊ	120 दिन
26.	विशिष्ट समितियाँ (लघु उद्योगी सहकारी समितियाँ)	
	(क) जिन समितियों के सदस्यों की संख्या 200 सदस्यों तक सीमित हो	20 दिन
	(ख) जिन समितियों के सदस्यों की संख्या 201 से 500 के मध्य हो	50 दिन
	(ग) जिन समितियों के सदस्यों की संख्या 501 से 1000 के मध्य हो	75 दिन
	(घ) जिन समितियों के सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक हो	100 दिन
27.	थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार	40 दिन प्रति भण्डार
28.	प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार	18 दिन प्रति भण्डार
29.	ग्रामीण उपभोक्ता भण्डार	10 दिन प्रति भण्डार

1	2	3
30.	क्रय-विक्रय सहकारी समिति	30 दिन प्रति समिति
31.	कृषि समितियाँ	5 दिन प्रति समिति
32.	कृषक सेवा सहकारी समिति	20 दिन प्रति समिति
33.	भण्डागार/साधन सहकारी समिति	
	(क) जिसमें मिनी बैंक कार्यरत है	30 दिन प्रति समिति
	(ख) जिसमें मिनी बैंक कार्यरत नहीं है	20 दिन प्रति समिति
34.	प्रारम्भिक सहकारी समिति	5 दिन प्रति समिति
35.	उत्तर प्रदेश ताम्बूल संघ	30 दिन
36.	पीसीयू (यूपिका)	
	(क) मुख्यालय	1440 दिन
	(ख) शाखायें/डिपो	
	1. छोटी शाखा	25 दिन
	2. बड़ी शाखा	40 दिन
37.	कताई मिल संघ	240 दिन
38.	प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन	
	(क) मुख्यालय	1080 दिन
	(ख) शाखायें	60 दिन प्रति शाखा
39.	उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ	960 दिन
40.	उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 लखनऊ	960 दिन
41.	बुनकर की औद्योगिक शीर्ष समितियाँ	20 दिन प्रति समिति
42.	बुनकर सहकारी समितियाँ	10 दिन प्रति समिति
43.	खादी ग्रामोद्योग समितियाँ	5 दिन प्रति समिति
44.	अन्य औद्योगिक सहकारी समितियाँ	5 दिन प्रति समिति
45.	मिल्क बोर्ड कानपुर	1080 दिन
46.	मिल्क यूनियन लखनऊ	1080 दिन

क्रमशः 17

1	2	3
47.	दुग्ध संघ	
	(1) 5 करोड़ तक की बिक्री वाले दुग्धसंघ	480 दिन प्रति संघ
	(2) 5 करोड़ से अधिक बिक्री वाले दुग्धसंघ	600 दिन प्रति
48.	दुग्ध सहकारी समितियाँ	5 दिन प्रति समिति
49.	सहकारी आवास समितियाँ	5 दिन प्रति समिति
50.	विद्युत सहकारी समिति लखनऊ	960 दिन
51.	यातायात समितियाँ	3 दिन प्रति समिति
52.	श्रम एवं वन समितियाँ	3 दिन प्रति समिति
53.	जिला फल एवं शाक संघ	30 दिन प्रति संघ
54.	शाक सहकारी समितियाँ	3 दिन प्रति समिति
55.	तिलहन सहकारी समितियाँ	3 दिन प्रति समिति
56.	अन्य सहकारी समितियाँ	3 दिन प्रति समिति
57.	गाँव सभा/न्याय पंचायत	1 दिन प्रति गाँव सभा/न्याय पंचायत प्रति लेखा
58.	सहायक कोष बही	1 दिन प्रति लेखा
59.	पंचायत उद्योग:	
	(क) छोटा	15 दिन प्रति पंचायत उद्योग
	(ख) बड़ा	30 दिन प्रति पंचायत उद्योग
60.	वैधानिक लेखा (पी.एल.ए.)	20 दिन प्रति लेखा
61.	उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ:	
	(क) मुख्यालय	480 दिन
	(ख) शाखायें	30 दिन प्रति शाखा